[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 47/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 25 सितम्बर 2023

का.आ…(अ) – केन्द्रीय सरकार,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii),सा.का.नि .3424(अ),तारीख 31 जुलाई, 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2023- केन्द्रीय कर, 31 जुलाई, 2023 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,"रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को" शब्दों के पश्चात् "1 जनवरी, 2024 से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और 31 जुलाई, 2023 से अंतस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/7/2021-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 30/2023-केन्द्रीय कर, 31 जुलाई, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii)में सा.का. सं. 3424(अ), तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।